10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
CANCELLED CANCELLED

286

CP

11-10-10

समक्ष माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

अपील क्रमांक .... वर्ष 2010
A - 1426 - PBR/2010

अपीलार्थी : अशोका ग्रुप द्वारा भागीदार श्री शंकरलाल दासदानी, पिता स्व. श्री मूलचन्द दासवानी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मोहित काम्पलेक्स नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.)

श्री एस.पी. चौधरी
अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार: राजस्व मण्डल
25 JUN 2010
पेशकार
...मेम्बर, जबलपुर संभाग

बनाम

प्रत्यार्थीगण :

1. श्री हरीराम बुद्धराजा, पिता स्व. श्री जयराम दास जी उम्र 65 वर्ष,

2. श्री विनय बुद्धराजा, पिता स्व. श्री हरीराम बुद्धराजा, उम्र 37 वर्ष, दोनोंनिवासी 1045, गोरखपुर, जबलपुर ।

3. श्री निर्मल सिंह, पिता सरदार श्री अजीत सिंह भुट्टर, उम्र 38 वर्ष,

4. श्रीमती जसवंत कौर पति सरदार श्री हरप्रीत सिंह, उम्र 43 वर्ष

5. श्रीमती कमलजीत कौर पति सरदार श्री निर्मल सिंह उम्र 33 वर्ष, निवासी क्रं. 3 से 5 ए.पी.आर. कालोनी, बिलहरी, मण्डला रोड, जबलपुर ।

6. श्रीमती कुलवंत कौर गुजराल, पति सरदार श्री सतपाल सिंह गुजराल, उम्र 48 वर्ष, निवासी 57 वर्ष, बिलहरी, मण्डला रोड, जबलपुर ।

(82)

Received camp
jabalpur.
7-10-10.

11.10.16

अपील अन्तर्गत धारा 4 5 सहपठित 56(4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम

D.S.
DHANRAJ SINGH CHAUDHARY
ADVOCATE
25 JUN 2010

...2

अपीलार्थी माननीय न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्पस, जिला जबलपुर प्रकरण क्रं. 30/बी–103 धारा 33 वर्ष 2009–10 पक्षकार श्री हरिलाल बुद्धराजा एवं 5 अन्य बनाम अशोका ग्रुप में पारित आदेश दिनांक 15–06–2010 को संशोधित किये जाने हेतु निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निम्नलिखित अपील प्रस्तुत करता है कि :–

अपील के तथ्य

1– यह कि मौजा तिलहरी, नं.बे. 231, प.ह.न. 28, तह. व जिला जबलपुर की खसरा नं. 118/4 कुल रकवा 0.955 हे. में से लगभग 23000 वर्गफुट भूमि रू. 185/– प्रति वर्गफुट से प्रत्यार्थीगण से खरीदने का सौदा दिनांक 11–02–2006 को अपीलार्थी ने किया तथा रू. 2,00,000/– चैक से रू. 13,00,000/– नगद, कुल रू. 15,00,000/– ब्याना दिया तथा प्रत्यार्थीगण ने उक्त ब्याना राशि स्वीकार दिनांक 11–02–2006 को ही एक विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित किया ।

2– यह कि प्रत्यार्थीगण विक्रयपत्र न किये जाने पर अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय में दिनांक 27–01–2009 को विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु वादपत्र, वाद क्रं. 03 ए/09 प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 19–06–2009 को अपीलार्थी को स्थगन भी माननीय न्यायालय ने प्रदान किया । उक्त व्यवहार वाद साक्ष्य के लिये नियत होने पर मूल विक्रय अनुबंध पत्र माननीय न्यायालय से अपीलार्थी सम्यक रूप से स्टांपित कराने वापस लिया ।

3– यह कि अपीलार्थी ने स्वयं माननीय न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्प के समय दिनांक 02–01–2010 को उपस्थित होकर मूल विक्रय अनुबंध–पत्र तथा एक आवेदन सम्यक रूप से **स्टांपित** किये जाने हेतु प्रस्तुत किया । दिनांक 15–06–2010 को माननीय न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्प ने अपीलार्थी के पक्ष में आदेश पारित कर कभी स्टाम्प शुल्क 41988/– तथा शास्ती 83976/– अधिरोपित कर कुल रूपये 1,25,964/– जमा करने का आदेश दिया है । माननीय न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्प ने शास्ती अत्याधिक अर्थात् मूल राशि से लगभग दो गुना लगाई है जो उचित नहीं है । शास्ती राशि, 83976/– रूपये कम किये जाने हेतु यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

....3

D.S

DHANRAJ SINGH CHAUDHARY
ADVOCATE
25 JUN 2010

A-1426 P3R/10 ([illegible])

26.10.16	प्रकरण विगत 6 वर्षों से लंबित है। आवेदक को सूचना रजिस्टर्ड की [illegible] प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः स्पष्ट है कि आवेदक को प्रकरण को निरंतर रखने में कोई रुचि नहीं है अतः प्रकरण रुचि के अभाव में [illegible] कर 90 दिवस पश्चात [illegible] अभिलेखागार में जमा किया जावे तथा उभय पक्षों को सूचना दी जावे।